

प्रेषक,

रवीन्द्र कुमार द्विवेदी,  
आई0डी0 यू0पी06308  
विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण,  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (केन्द्रीय),  
लखनऊ

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा-

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
लखनऊ

विषय-

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में स्विच करने  
या नई पेंशन योजना में बने रहने हेतु माँगे गये विकल्प के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि पूर्व में माननीय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ के पत्रांक 3585/XVPF Dated 24.07.2024 के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना से सम्बन्धित विकल्प निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रेषित किया गया था, किन्तु पुनः पत्र सं0-11718/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated 31.08.2024 के माध्यम से विकल्प, विभागाध्यक्ष की संस्तुति के पश्चात् प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के अनुपालन में विभागाध्यक्ष की संस्तुति के साथ विकल्प, आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

सादर।

भवदीय

*Ravindra Kumar Dwivedi*  
(रवीन्द्र कुमार द्विवेदी), 05.09.24

विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण,  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (केन्द्रीय)

लखनऊ

आई0डी0 यू0पी06308

दि0-05.09.2024

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ  
पत्रांक 4536/XV/PF 06/9/24  
अप्रसारित किया गया।

जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

### विकल्प पत्र

1. नाम- रवीन्द्र कुमार द्विवेदी
  2. वर्तमान पदनाम- विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (केन्द्रीय)/अपर जनपद न्यायाधीश, लखनऊ
  3. वेतनमान- 1,72,960/-रु०
  4. वर्तमान विभाग का नाम- जिला एवं सत्र न्यायालय, लखनऊ
  5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- नियुक्ति अनुभाग-4, उ०प्र० शासन
  6. विज्ञप्ति की तिथि- 15 नवम्बर, 2003
  7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 26.05.2006 (UP Government Appointment/Notification No.2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.05.2006 & Hon'ble High Court Notification No-1087/DR(S)/2006 dated June 13, 2006)
  8. योगदान की तिथि- 16 जून, 2006
  9. जन्मतिथि- 10.09.1975
  10. सेवानिवृत्ति की तिथि- 30.09.2035
- मैं रवीन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र स्व० श्री रमेश कुमार द्विवेदी, शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (V) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर-

नाम-

पदनाम-

*Ravindra Kumar Dwivedi*

रवीन्द्र कुमार द्विवेदी,  
आई०डी० यू०पी०६३०८

विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (केन्द्रीय)/  
अपर जनपद न्यायाधीश,  
लखनऊ

### घोषणा पत्र

मैं रवीन्द्र कुमार द्विवेदी पदनाम विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (केन्द्रीय)/अपर जनपद न्यायाधीश, लखनऊ यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-

नाम-

पदनाम-

*Ravindra Kumar Dwivedi*

रवीन्द्र कुमार द्विवेदी,  
आई०डी० यू०पी०६३०८

विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (केन्द्रीय)/  
अपर जनपद न्यायाधीश,  
लखनऊ

### सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री रवीन्द्र कुमार द्विवेदी, पदनाम विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (केन्द्रीय)/अपर जनपद न्यायाधीश, लखनऊ को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (V) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

*R. Chhapai*  
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति  
District Judge  
Lucknow

7785  
31/8/24  
2/8/24

Case Post



**URGENT**  
By E-mail/Registered Post

From, Registrar General,  
High Court of Judicature at  
Allahabad.

To, (1) All the District & Sessions Judges/ O.S.D.,  
(2) All the Principal Judges of Family Courts,  
(3) All the Presiding Officers, MACTs, LARRAs, Commercial Courts  
(4) All the Judicial Officers posted on deputation,  
State of Uttar Pradesh

Dated: Aug. 31<sup>st</sup>, 2024.

No. 11718 /IV-F-82(Pension)/Admin.(A)

Sub : Regarding exercise of one time option to switch from National Pension System/New Pension Scheme to Old Pension Scheme or to remain in New Pension Scheme in light of G.O. No. 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 dated 28.06.2024 read with G.O. No.20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1)/2024 dated 11.07.2024 of the Government of U.P.

Sir,

In continuation of Hon'ble Court's letter no. 9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) dated 16.07.2024, issued on the above captioned subject, I am directed to say that vide said Court's letter it was specifically communicated that applications in instant matter are to be preferred accompanied with prescribed "Option Form(s)" to the Hon'ble Court, duly filled by the applicant as well as by concerned Head of Office, at designated places. However, from perusal of applications received in the office of this Court, it has come to notice that the "Option Form(s)" received along with applications are being sent without recommendation/consent of the Head of the Office hence rendering same incomplete for further processing. Since, instant matter is to be completed within specified time-frame, repeated correspondences with respect to completion of formalities are to be avoided.

I, am therefore, to request your goodselves to kindly take close notice of every application before forwarding same to the Hon'ble Court and ensure that all details mentioned therein are correctly filled and the "Option Form(s)" are bearing recommendation/consent of your goodselves in the capacity of Head of the Office, so that further processing in said applications may be expedited.

Additionally, your goodselves are requested to check at your end, if any application has already been forwarded without recommendation/consent on the prescribed "Option Form(s)" of the officer, the same may be submitted again, with all details duly filled and bearing recommendation/consent in the capacity of Head of Office at designated place, by way of EServicesJO portal as well as Registered Post, without waiting for any correspondence in individual cases from the side of the Hon'ble Court in this regard.

Seen. C. ...  
With regards.  
C. ...

Yours faithfully,